छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 2–79/2019/नौ, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/03/2022

प्रति,

1. संचालक,
   खेल एवं युवा कल्याण
   रायपुर, छत्तीसगढ़,

2. समस्त कलेक्टर,
   छत्तीसगढ़,

6622
25/3/22

विषयः– राजीव युवा मितान क्लब सोसाईटी की पंजीयन सम्बंधी।

—::000::—

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण पत्र क्रमांक 122202219788 संदर्भ क्रमांक 3074580380 द्वारा दिनांक 14.03.2022 को राजीव युवा मितान क्लब सोसाईटी का पंजीयन हुआ है।

निर्देशानुसार राजीव युवा मितान क्लब सोसाईटी के पंजीयन पत्र एवं पंजीकृत नियमावली व ज्ञापन की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। उक्त नियमावली व ज्ञापन की प्रति संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़ की वेबसाईट **www.sportsyw.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(एम. डी. दीवान)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

सु.क.
DIRECTOR
29/3/22

जा.क्र. 3051
16/03/2022

(1)

प्ररूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122202219788

संदर्भ क्रमांक: 3074580380

यह प्रमाणित किया जाता है राजीव युवा मितान क्लब सोसायटी जो संचालनालय , खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़ तहसील **Raipur** जिला **Raipur** में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 14/03/2022 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

अनुपमा कुजूर
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं

This is computer generated certificate. **This certificate can be verified online at http://dfss.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration**

[illegible] CG110322001333
[illegible] दिनांक 14/03/2022
[illegible] प्रमाणित किया जाता है पंजीयन क्र. 122202219788
दिनांक 14/03/22 द्वारा पंजीकृत संस्था की
[illegible] प्रमाणित प्रति है. [illegible]
[illegible]

Digitally signed by [illegible]
Date: 2022.03.14 17:22:59 +05:30
Reason: For Issuing Registration of New Society
Location: State Society

Anuppe
16/3/2022
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के सहायक असिस्टेंट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

19AA 161329

संस्था - राजीव युवा मितान क्लब रायपुर
पंजीयन क्रमांक - 122202219788 दिनांक 14/03/22
के उपयोग हेतु प्रमाण पत्र

16/3/2022
(अनुपमा कुजूर)
समितियों के प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

5314 16/03/22

DISTRICT TREASURY OFFICE

20 SEP 2021

RAIPUR (CHHATTISGARH)

आ.क्र. 3037
11/03/2022

(4)

(नियम 3 देखिये)

सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम "राजीव युवा मितान क्लब" होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)।
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

01. युवा शक्ति राज्य के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण पूंजी है। युवाओं को राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संगठित कर शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग लेना।

02. युवाओं को संगठित कर प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करने सामाजिक नेतृत्व प्रदान करते हुए राज्य के आर्थिक विकास की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेकर "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की मुहिम में साक्षी बनाया जाएगा।

03. युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने, स्वावलंबन का पोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करना।

04. शिक्षा व खेल के माध्यम से स्वस्थ समाज की स्थापना में सहभागी बनने तथा युवाओं में खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना।

05. आजादी की लड़ाई के मूल्यों एवं महात्मा गांधीजी के आदर्शों का प्रचार–प्रसार करना।

06. ग्राम सुराज की परिकल्पनाओं को पूर्ण करने हेतु सक्रिय भागीदारी निभाना।

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गर्वनर, परिषद, संचालकों, समिति या शासकीय निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पत्ता तथा उपजिविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :–

क्र.	पदेन / मनोनयन	संस्था में पद
1	श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., वित्त, खनिज, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2	श्री उमेश पटेल, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	उपाध्यक्ष (पदेन)

(6)

3	श्री टी.एस. सिंह देव, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी/बीस सूत्री क्रियान्वयन/वाणिज्य कर विभाग	स्व. श्री एम.एस. सिंहदेव	एम 4–08, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर	[signature]
4	डॉ. शिवकुमार डहरिया, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग	स्व. श्री आशाराम डहरिया	एम–1/1 महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर	[signature]
5	श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	श्री एस. सी. जैन	एस–1/3, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर	[signature]
6	श्री सुब्रत साहू, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन मान. मुख्यमंत्री सचिवालय	श्री साहदेव साहू	एस–3/18 महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर	[signature]
7	श्री नीलम नामदेव एक्का, सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	श्री चार्लस एक्का	एस–2/3 महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर	[signature]
8	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, आयुक्त/संचालक खेल एवं युवा कल्याण, संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण रायपुर	श्री तारण प्रकाश सिन्हा	संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जी.ई. रोड रायपुर	[signature]

रु. 20/- ...चालान क्र. 6611032205+1333 दि. 14/03/2022
द्वारा जमा किया गया है पंजीयन क्र. 1022022219788
दिनांक 14/3/22 द्वारा पंजीकृत लेखक की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है जारी होने
का दिनांक 16/3/2022

[signature] 16/3/2022
(अनुपमा कुजूर)
फर्मों व सोसायटियों के प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

तारीख ....

साक्षी [signature]

हस्ताक्षर प्रवेश जोशी
नाम न्यु कर्मचारी कालोनी
पूर्ण पता कुशालपुर, रायपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

19AA 494960

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ छ.ग.

संस्था-राजीव युवा मितान क्लब रायपुर
पंजीयन क्रमांक 122202219788 दिनांक 14/03/2022
ज्ञापन के साथ संलग्न

16/3/2022
(अनुपमा कुजूर)
(समितियों के प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार)
छत्तीसगढ़

क्रमांक 8684 दिनांक 15/3/2022 [illegible] 101

विक्रेता का नाम हेमंत मत्स्यपालन [illegible] कल्याण

[illegible] रायपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

03 FEB 2022
RAIPUR (CHHATTISGARH)

[illegible]

क्रं-3037
16/03/2023

नियमावली

1. संस्था का नाम – "राजीव युवा मितान क्लब" होगा।

2. संस्था का कार्यालय – संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा ।

4. परिभाषा –
   (1) इस संस्था का रजिस्टर्ड नाम "राजीव युवा मितान क्लब" होगा।
   (2) सोसायटी एक्ट से तात्पर्य " छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन 1998)" है।
   (3) संस्था की शासी निकाय का अर्थ आमसभा होगा।
   (4) संस्था की कार्यकारिणी समिति का अर्थ प्रबंधकारणी सभा होगा।
   (5) रजिस्ट्रार का अर्थ रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़ होगा।
   (6) इस संस्था के पदेन सदस्य उसी समयावधि तक रहेंगे, जब तक वे पद धारण करते रहें। स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में सदस्यता स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
   (7) माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायकगणों का मनोनयन एवं आवश्यकतानुसार कभी भी परिवर्तन संस्था के पदेन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा।

5. संस्था का उद्देश्य–

01. युवा शक्ति राज्य के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण पूंजी है। युवाओं को राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संगठित कर शासन की विकास योजनाओं के कियान्वयन में सक्रिय सहयोग लेना।

02. युवाओं को संगठित कर प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करने सामाजिक नेतृत्व प्रदान करते हुए राज्य के आर्थिक विकास की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेकर "गढ़बो नवा छत्तीसगढ़" की मुहिम में साक्षी बनाया जाएगा।

03. युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने, स्वावलंबन का पोषण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहभागिता को प्रोत्साहन प्रदान करना।

04. शिक्षा व खेल के माध्यम से स्वस्थ समाज की स्थापना में सहभागी बनने तथा युवाओं में खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने।

05. आजादी की लड़ाई के मूल्यों एवं महात्मा गांधीजी के आदर्शों का प्रचार–प्रसार करना।

06. ग्राम सुराज की परिकल्पनाओं को पूर्ण करने हेतु सक्रिय भागीदारी निभाना।

6. **संस्था का गठन** :- "राजीव युवा मितान क्लब" के शासी निकाय (Governing body) के पदेन अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष माननीय मंत्री जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं सदस्य सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग होंगे।

7. **शासी निकाय(Governing body)** :- शासी निकाय (Governing body) में माननीय मुख्यमंत्री जी (पदेन अध्यक्ष) के अनुमोदन से माननीय मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्य एवं माननीय विधायकगण का मनोनयन किया जा सकेगा। शासी निकाय का स्वरूप निम्नानुसार है:-

क्र.	पदेन / मनोनयन	संस्था में पद
1	माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., वित्त, खनिज, ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2	माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	मान. मंत्री, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी / बीस सूत्रीय क्रियान्वयन / वाणिज्य कर विभाग	सदस्य (पदेन)
4	मान. मंत्री, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम विभाग	सदस्य (पदेन)
5	अध्यक्ष महोदय के द्वारा मनोनीत सदस्य (2 मा. सांसद)	सदस्य (पदेन)
6	अध्यक्ष महोदय के द्वारा मनोनीत सदस्य (2 मा. विधायक)	सदस्य (पदेन)
7	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	सदस्य (पदेन)
8	अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन मान. मुख्यमंत्री सचिवालय	सदस्य (पदेन)
9	सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य-सचिव (पदेन)

8. **कार्यकारिणी समिति (केन्द्रीय समिति)** के अध्यक्ष मुख्य सचिव, छ.ग. शासन एवं सदस्य सचिव, संचालक खेल एवं युवा कल्याण, छत्तीसगढ़, रायपुर होंगे। कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नानुसार है :-

क्र.	पद	स्थिति
1	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग. शासन, मान. मुख्यमंत्री सचिवालय	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विभाग	सदस्य

क्र.	पद	स्थिति
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, जनसंपर्क विभाग	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, कौशल विकास विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
12	पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग	सदस्य
13	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग	सदस्य
14	संचालक, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण रायपुर	सदस्य-सचिव

9. **जिला स्तरीय समिति :-** जिला स्तरीय समिति के संरक्षक जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। यह समिति केन्द्रीय समिति के उपसमिति के रूप में कार्य करेगी तथा केन्द्रीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :-

क्र.	पद	स्थिति
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4	वनमण्डलाधिकारी,	सदस्य
5	जिला कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी	सदस्य
6	आयुक्त, नगर निगम/सी.एम.ओ. नगर पालिक निगम/नगर पंचायत	सदस्य
7	जिला शिक्षा अधिकारी,	सदस्य
8	जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
9	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य-सचिव

जिला स्तरीय समिति के कर्तव्य :-

(1) केन्द्रीय समिति के अधीन रहते हुए खेल विभाग से समन्वय कर योजनाओं की समुचित निगरानी करना।

(2) अनुविभाग स्तरीय समिति को अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराना एवं व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्रीय समिति को उपलब्ध कराना।

(3) अनुविभाग स्तरीय समिति को ग्राम पंचायत/नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित राजीव युवा मितान क्लब के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।

(4) अनुविभाग स्तरीय समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

10. **अनुविभाग स्तरीय समिति** :– यह समिति जिला स्तरीय समिति के उपसमिति के रूप में कार्य करेगी तथा जिला स्तरीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुभाग स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार है:–

क्र.	पद	स्थिति
1	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस	उपाध्यक्ष
3	अनुविभाग के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य
4	अनुविभाग के सभी नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत	सदस्य
5	अनुविभाग के सभी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	अनुविभाग के सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी / परियोजना अधिकारी आदिवासी विकास विभाग	सदस्य
7	उप–कोषालय अधिकारी (लेखाधिकारी / वित्त अधिकारी)	सदस्य
8	लेखाधिकारी नगर निगम	सदस्य
9	नेहरू युवा केन्द्र के NYV (ने नल यूथ वालेंटियर)	सदस्य
10	NCC एवं NSS के प्रतिनिधि (महाविद्यालय स्तर पर)	सदस्य
11	अनुविभाग मुख्यालय के तहसीलदार	सदस्य–सचिव

अनुविभाग स्तरीय समिति के कर्तव्य :–

(1) यह समिति जिला स्तरीय समिति के अधीन रहते हुए कार्य करेगी तथा जिला स्तरीय समिति के प्रति उत्तरदायी होगी।

(2) अनुविभाग में एक से अधिक तहसील / विकासखण्ड होने की स्थिति में संबंधित तहसील / विकासखण्ड के अनुविभाग स्तरीय समिति के सदस्य अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत राजीव युवा मितान क्लबों को मार्गदर्शन / पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(3) जिला स्तरीय समिति के अधीन रहते हुए जिला खेल अधिकारी से समन्वय कर योजनाओं की समुचित निगरानी करना।

(4) ग्राम पंचायत / नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित राजीव युवा मितान क्लब को अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराना एवं व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराना।

(5) अनुविभाग स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करायेगी कि राजीव युवा मितान क्लब के चयनित सदस्यों का कोई अपराधिक रिकार्ड न हो तथा सभी चयनित सदस्य आचरण संहिता का पालन करें।

(6) किसी राजीव युवा मितान क्लब में आर्थिक अनियमितता पाये जाने पर अनुविभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि अनियमितता की राशि को क्लब के संबंधित पदाधिकारी से भू-राजस्व की बकाया बतौर वसूली कर सकेंगे एवं संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता समाप्ति के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

11. राजीव युवा मितान क्लब का गठन :–

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जायेगा। राज्य शासन के निर्देश पर 2500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में एक से अधिक क्लब का गठन किया जा सकेगा।

(2) नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा।

(3) रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्षेत्र में भी राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा सकेगा।

(4) राजीव युवा मितान क्लब में निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :–

I. अध्यक्ष–01,
II. उपाध्यक्ष – 02,
III. सचिव–01,
IV. कोषाध्यक्ष–01
V. संयुक्त सचिव–02, होंगे।

(5) राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होगें जिसका कार्यकाल 01 वित्तीय वर्ष होगा, जिसके समाप्ति उपरान्त आव यकतानुसार नवीन क्लब गठन/नवीनीकरण कराना आव यक होगा।

(6) राजीव युवा मितान का गठन/विघटन दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जायेगा। परन्तु जिले के प्रभारी मंत्रीजी का यह वि ोषाधिकार होगा कि वह राजीव युवा मितान क्लब का विघटन कभी भी कर सकेंगे।

(7) राजीव युवा मितान क्लब में 18 से 40 आयु वर्ग के न्यूनतम 20 एवं अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमें से कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगे। सदस्यों का चयन लिंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। जिले के प्रभारी मंत्रीजी द्वारा यह सुनिश्चित्त किया जाएगा कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

(8) राजीव युवा मितान क्लब के सामान्य सभा में उसके पदाधिकारी सहित सभी सदस्य होंगे।

(9) राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों का मनोनयन हेतु जिले के प्रभारी मंत्रीजी के अनुशंसा पर की जायेगी।

(10) राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम; नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा किया जायेगा।

(11) राजीव युवा मितान क्लब के किसी सदस्य को जिले के प्रभारी मंत्रीजी के अनुशंसा उपरान्त——नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम; नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

(12) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 01 क्लब के मान से कुल 11664 एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में कुल 1605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन होगा।

(13) प्रदेश में कुल क्लबों की संख्या 13269 होगी एवं सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2,65,380 एवं अधिकतम 5,30,760 होगी।

(14) प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये प्रति राजीव युवा मितान क्लब के मान से राशि 132 करोड़ 69 लाख रूपये व्यय होगा।

12. **राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य की पात्रता हेतु मापदण्ड :-**

(1) वह छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) युवा हो।

(2) आयु 18 से 40 वर्ष।

(3) वह अपराधिक प्रवृत्ति का न हो।

(4) शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी।

(5) शिक्षा, खेल, समाजसेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता होगी।

(6) एनएसएस / एनसीसी / एनवायके आदि पृष्ठभूमि वाले युवाओं को वरीयता।

(7) निःशक्तजन युवाओं को वरीयता।

(8) श्रमदान करने वाले युवाओं की वरीयता।

13. राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की चयन प्रक्रिया :–

(1) पात्रता रखने वाले युवा निर्धारित प्रपत्र में अपने क्लब क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ निगम आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अनुविभागीय स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों के आधार पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की अन्तिम सूची तैयार करेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करेगी एवं अनुमोदित सदस्यो के सम्बंध में पुलिस वेरीफिकेशन उपरांत, उपयुक्त अभ्यर्थियों की, चयन सूची जारी करेगी।

(3) राजीव युवा मितान क्लब के गठन का आदेश, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी किया जायेगा।

(4) राजीव युवा मितान क्लब के किसी सदस्य को जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अनुशंसा उपरान्त, नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के आदेश द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।

(5) कोई युवा एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब का सदस्य नहीं हो सकता है।

(6) राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी, सर्वसम्मति से या उनके सदस्यों द्वारा बैठक (चयनित सदस्यों की 1/3 कोरम पूर्ति कर) में चुनाव कर चयनित किया जायेगा किसी विवाद की स्थिति में अनुविभाग स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(7) बैठक हेतु कोरम की पूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी।

(8) प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक बार राजीव युवा मितान क्लब की बैठक आयोजित होगी जिसमें क्लब की गतिविधियों, रा[illegible] व्यय एवं मासिक कार्ययोजना पर चर्चा की जायेगी।

(9) राजीव युवा मितान क्लब का कोई सदस्य 40 वर्ष के आयु पूर्ण करने के उपरांत स्वयमेव अपात्र हो जायेगा।

(10) सदस्यों का चयन लिंग, जाति या धर्म के आधार पर नहीं होगा। यह सुनि[illegible]चत किया जाए कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

14. राजीव युवा मितान क्लब के मुख्य कार्य :-

खेल गतिविधियाँ :-

कबड्डी, खो-खो, योगा, कुश्ती क्रिकेट, छत्तीसगढ़ी पारम्परिक खेल यथा- गेड़ी, फुगड़ी, भौंरा, पिट्ठूल, आदि की प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजनात्मक प्रतिस्पर्धाएं।

सामाजिक गतिविधियाँ :-

01. **पर्यावरण का संरक्षण** :- पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान व पेयजल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ओ.डी.एफ. अभियान आदि।

02. **शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य** :- स्कूलों मे बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थित हेतु कार्य करना। विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को विद्यालय प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करना। जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम। एड्स नियंत्रण, सुपोषण अभियान, मलेरिया उन्मूलन, कोविड टीकाकरण आदि में सक्रिय भागीदारी।

03. **जागरूकता कार्यक्रम** :- सेव गर्ल्स चाईल्ड, स्वैच्छिक रक्तदान, एच.आई.वी. (एड्स) एवं कोरोना (कोविड-19) के बचाव, नशा मुक्ति, शराब मुक्ति अभियान पर जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेंगे।

04. **शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार** :- ग्राम सभा में शत-प्रतिशत उपस्थिति हेतु कार्य करेंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं हेतु पात्र हितग्राहियों की पहचान करना एवं योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु कार्य करना। जिन विभागों में कौशल क्षमता विकास कार्यक्रम एवं क्लब के उद्देश्यों के अनुरूप आयोजन होते हैं उनसे समन्वय कर कार्य करेंगे।

05. **नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम** :- प्रभावी प्रबंधन एवं प्रशासन, लोक तांत्रिक नेतृत्व कार्यशाला, राजीव मितान क्लबों के विकास के संबंध में प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल पर कार्यशाला, वैश्विक राष्ट्रीय व स्थानीय महत्व के वर्तमान मुद्दों पर कार्यक्रम।

06. **योजना प्रबंधन तथा प्रशासन कौशल** :- एकजुट करने तथा नेटवर्क बनाने का कौशल, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कौशल विकास, महिलाओं के कौशल उन्नयन कार्यक्रम, युवा सुविधा केन्द्र संचालन, हस्तशिल्प मेला तथा लोकवार्ता, सामुदायिक संपत्तियों का संरक्षण।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ :—

संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन :—

सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, पारम्परिक संस्कृति को बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे— हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, तीजा पोला में बैला दौड़, गौरा—गौरी पर्व, मड़ई—मेला दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव आदि के आयोजन में सक्रिय भागीदारी।

15. राजीव युवा मितान क्लब की निधि :—

(1) उक्त योजना हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बजट में स्वीकृत राशि, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली शासी निकाय के निर्देश पर संचालक, खेल एवं युवा कल्याण (सदस्य सचिव कार्यकारिणी/केन्द्रीय समिति) के द्वारा सभी जिला कलेक्टर (अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति) को जिला स्तरीय समिति के बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

(2) जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण अनुविभाग स्तरीय समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि खोले गये चालू बैंक खाते में एवं नगर निगम क्षेत्र में गठित्त राजीव युवा मितान क्लबों के लिए राशि नगर निगम क्षेत्र में खोले गये चालू बैंक खाते में अंतरित किया जाएगा।

(3) अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त राशि का अंतरण उक्त उपनियम (2) अनुसार राशि प्राप्तकर्ता बैंक खातेदारों द्वारा सम्बंधित राजीव युवा मितान क्लब के बैंक खातों में किया जायेगा।

(4) प्रत्येक राजीव युवा मितान क्लब को प्रति तिमाही 25000/—(पच्चीस हजार रूपये) अनुदान राशि अनुविभाग स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त होगा।

(5) उक्त राशि का उपयोग उद्देश्यों के पूर्ति के लिए तथा समय—समय पर राज्य शासन एवं शासी निकाय तथा केन्द्रीय समिति द्वारा दिए निर्देशानुसार एवं क्लब के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा।

(6) राजीव युवा मितान क्लब को प्रदाय राशि का चार्टड एकाउन्टेन्ट अथवा शासकीय विभाग पंचायत, नगरीय निकाय, स्थानीय संपरीक्षा निधि के अंकेक्षकों/करारोपण अधिकारी से अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा अनुविभाग स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

(7) राजीव युवा मितान क्लब को वित्तीय वर्ष में प्रदाय की गई कुल राशि का व्यय खेल गतिविधि, सामाजिक गतिविधि एवं सांस्कृतियों गतिविधियों हेतु क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में करेंगे।

(8) राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा वित्तीय वर्ष में लगभग 05 खेल गतिविधियाँ, 12 सामाजिक गतिविधियाँ एवं 02 सांस्कृतियां गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा।

(9) प्रोत्साहन राशि का आहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक की तत्काल भुगतान/वितरण किया जाना आवश्यक ना हो।

(10) स्वीकृत प्रोत्साहन राशि/अनुदान का व्यय पूर्णतः नहीं किये जाने कि स्थिति में शेष राशि को वित्तीय वर्ष के अंत में शासन को लौटा दी जाएगी।

(11) किसी राजीव युवा मितान क्लब में आर्थिक अनियमितता पाये जाने पर अनुविभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि अनियमितता की राशि को क्लब के संबंधित पदाधिकारी से भू-राजस्व की बकाया बतौर वसूली कर सकेंगे एवं संबंधित पदाधिकारी की सदस्यता समाप्ति के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

16. पदाधिकारियों के अधिकार :-

(1) अध्यक्ष :-

01. राजीव युवा मितान क्लब के बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
02. शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष अपने स्तर के सुसंगत समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगें।
03. आकस्मिक बैठक :- आवश्यकता होने पर शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति, जिला स्तरीय समिति तथा राजीव युवा मितान क्लब 2/3 सदस्यों द्वारा अथवा अध्यक्ष के निर्णय अनुसार अपने स्तर से सुसंगत आवश्यक बैठक बुलाई जायेगी, जिसके लिए 24 घण्टे पूर्व समस्त सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

(2) उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष राजीव युवा मितान क्लब के बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) सदस्य सचिव/सचिव :-

01. शासी निकाय, केन्द्रीय समिति, जिला स्तरीय समिति, अनुविभाग स्तरीय समिति के सदस्य सचिव तथा राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा सुसंगत बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो, प्रस्तुत करना।

02. राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा सदस्यता पंजी एवं कै बुक का संधारण करने एवं प्रति तिमाही प्राप्त राशि का निर्देशानुसार व्यय विवरण पत्रक तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुभाग स्तरीय समिति को प्रेशित करने की कार्यवाही करना।

03. राजीव युवा मितान क्लब के सचिव द्वारा समिति/क्लब के आय-व्यय का लेखा-जोखा हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम के माध्यम से अनुभाग स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।

04. अनुभाग स्तरीय समिति के सदस्य सचिव अपने अनुविभाग के सभी राजीव युवा मितान क्लबों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रकों का संकलन कर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।

05. जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव अपने जिले के सभी अनुभाग स्तरीय समितियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक का संकलन कर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण पत्रक केन्द्रीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।

06. समिति/क्लब के सारे कागजातों को तैयार करना/करवाना तथा उसका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना अपने वरिष्ठ समिति को देना।

07. केन्द्रीय समिति (Executive Body) के सदस्य सचिव (संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर, छत्तीसगढ़) उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (जी.एफ.आर.-12) में शासी निकाय के सदस्य सचिवे (सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग) को समयावधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(4) **कोषाध्यक्षः–**
राजीव युवा मितान क्लब की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा बैठक द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(5) **संयुक्त सचिव :–**
सचिव की अनुपस्थित में संयुक्त सचिव द्वारा सचिव का कार्य करना।

17. **अन्य विभागों से समन्वय :–**
राजीव युवा मितान क्लब का प्रशासकीय विभाग खेल एवं युवा कल्याण विभाग होगा। क्लब के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों से राजीव युवा मितान क्लब द्वारा समन्वय किया जाएगा। जैसे– ग्रामीण औद्योगिक पार्क की गतिविधियों से समन्वय करना।

18. **राजीव युवा मितान क्लब में सदस्य पंजी रखी जाएगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो।
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर।

19. **शासी निकाय (Governing Body) :–**

(1) शासी निकाय में नियम 7 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। शासी निकाय की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह जुलाई होगा। बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से 15 दिवस पूर्व आमसभा के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 2/3 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित किया जाकर उसी पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होंगे।

(2) राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के अंदर बुलाई जायेगी, जिसमे शासी निकाय के पदाधिकारियों का मनोनयन/गठन संबंधी जानकारी पंजीयक को विहित शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

20. **शासी निकाय के अधिकार व कर्तव्य :–**

(1) राजीव युवा मितान क्लब के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(2) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(3) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी (Executive Body) द्वारा प्रस्तुत हो।
(4) राजीव युवा मितान क्लब द्वारा संचालित समितियों/क्लबों के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(5) बजट का अनुमोदन करना।

21. **कार्यकारिणी** (Executive Body) :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना, बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

22. **कार्यकारिणी (Executive Body) के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(1) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन हुआ है, उसके पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(2) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(3) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा/शासी निकाय द्वारा समय–समय पर सौंपी जाये।

(4) विशेष बैठक आमंत्रित कर राजीव युवा मितान क्लब के नियमावली में संशोधन किये जाने के प्रावधान पर विचार–विमर्श कर शासी निकाय की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी, साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत में संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

23. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :–**

(1) अधिनियम के धारा (27) के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी।

(2) धारा (28) के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा वार्षिक सभा से 90 दिवस के अंदर मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

24. **सम्पत्ति :–**

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति राजीव युवा मितान क्लब के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

25. बैंक खाता :-

(1) जिला स्तरीय समिति, अनुभाग स्तरीय समिति, राजीव युवा मितान क्लब की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(2) अनुविभाग स्तरीय समिति में कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत /नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उप कोषालय अधिकारी (अधीनस्थ लेखाधिकारी/वित्त अधिकारी) के संयुक्त रूप से एक चालू बैंक खाता होगा एवं नगर निगम क्षेत्र में गठित राजीव युवा मितान क्लबों के लिए नगर निगमवार आयुक्त नगर निगम एवं अधीनस्थ लेखाधिकारी के संयुक्त रूप से चालू बैंक खाता होगा।

(3) राजीव युवा मितान क्लब के बैंक/पोस्ट ऑफिस में अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष का संयुक्त खाता होगा। खाते से राशि का आहरण अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

64. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-

संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को शासी निकाय की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से उभय पक्षों में संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

28. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 पारित किया जायेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(अनुपमा कुजूर) 16/3/2022

(समितियों के प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार)

छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये | TEN RUPEES

रु.10 | Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

19AA 494961

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं छ.ग.

संस्था - राजीव युवा मिलन क्लब रायपुर
पंजीयन क्रमांक - 122202219788 दिनांक 14/03/2022
नियमावली के साथ संलग्न

16/3/2022

(अनुपमा कुजूर)
(समितियों के प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार)
छत्तीसगढ़

क्रमांक 8685 दिनांक 15/3/2022 [illegible] 10/-

विक्रेता का नाम हेमंत महेश्वरी ... शंकराचार्य रोड जुना [illegible]

[illegible] रायपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible] गुवाहाटी

[illegible] असम

[illegible]

[illegible]

23 FEB 2022